तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
23.01.24	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश बाजवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुयी। वकील प्रार्थी का कथन है कि मूल अपील पत्रावली दिनांक 25.10.23 को वास्ते बहस अन्तिम नियत थी। उस दिन अपीलाण्ट को वास्ते बहस अग्रिम पेशी दिनांक 30.10.2023 दी गयी थी। दिनांक 30.10.2023 को अपीलाण्ट जब न्यायालय में आये तो पता चला कि गत पेशी दिनांक 25.10.2023 को ही पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी है। तत्पश्चात् नकल आदि लेकर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर, मूल अपील को नम्बर पर लेने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर सीसीसी 2008(4) पेज 680, आरएलडब्ल्यू 2007(1) पेज 555, आरआरडी 1991 पेज 302 का उद्धरण प्रस्तुत किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाजवा के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा न्यायालय की कार्यवाही पर आक्षेप लगाया है। अतः शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र भी अपीलाण्ट की ओर से नहीं लगाया जाकर स्वयं अभिभाषक द्वारा लगाया है एवं प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट के उपस्थित नहीं होने के तथ्य के संबंध में कुछ अंकित नहीं किया है। प्रार्थना पत्र में समस्त अप्रार्थीगण को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है एवं ना ही विस्तृत उनवान ही अंकित किया है। अभिभाषक बिना अपीलाण्ट के अपील को रिस्टोर नहीं करा सकते। इस प्रकार प्रार्थना पत्र विधि अनुसार नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। अपने तर्को के समर्थन में आरएलआर 1994(1) पेज 317, 1993(1) पेज 215 का उद्धरण प्रस्तुत किया। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि शपथ पत्र नहीं लगाना, तकनीकी खामी है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि एक तरफ तो प्रार्थी अपने प्रार्थना में यह कथन करते हैं कि दिनांक 25.10.23 को उन्हें अग्रिम तारीख पेशी दिनांक 30.10.23 न्यायालय द्वारा दी गयी थी। वही दूसरी ओर अप्रार्थी के आक्षेप प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.23 के जवाब में स्वयं दिनांक 25.10.23 को दोनों में से किसी भी पक्षकार का न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होना कथन करते हैं। इस प्रकार प्रार्थी के दोनों कथन विरोधाभाषी हैं। दौराने बहस वकील अप्रार्थी की आपत्ति रही है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से नहीं लगाया जाकर प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा लगाया गया है एवं प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने बाबत् कोई कारण भी अंकित नहीं किये हैं। इसके अलावा प्रार्थना पत्र में न्यायालय की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। जबकि इस बाबत् उनके द्वारा कोई शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस बाबत् अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरएलआर 1994(1) पेज 317 हस्तगत प्रकरण में पूर्ण चस्पा होते हैं। न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दायर बहाली आवेदन–याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया। क्या वही वकील जो समीक्षा याचिका में अनुपस्थित रहा और उसकी अनुपस्थिति के कारण समीक्षा याचिका डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दी गयी थी। याचिकाकर्ता की ओर से बहाली आवेदन दाखिल हो सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय एवं अपूर्ण व विधि अनुसार	

भू प्रबन्ध अधिकारी
भरतपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नहीं होने के कारण काबिले खारिजी है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र बाजवा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर